


मं.नं. - 11/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  मघाराम बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 136 एलआरए	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.01.2021	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर से रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज किया जावे। अवलोकन किया गया। रिपोर्ट अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2075-78 खाता संख्या 108 खसरा नम्बर 228,232 रकबा 17.97 हैक्टेयर <del>ब</del> खाता बनाम मदनलाल, मघा, चूना उर्फ बनवारीलाल, भगवाना पि0 पृथ्वीराज व शान्ति पत्नी स्व0 पृथ्वीराज कौम ब्राह्मण साकिन बालादेसर बहिब खातेदार ई0नं0 643,15 रिकॉर्ड दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि जमाबन्दी सम्वत 2075-78 में प्रार्थी का नाम मघा दर्ज हो गया जबकि वास्तविक नाम मघाराम है उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा आधार कार्ड प्रति, नजरी नक्शा खसरा नम्बर 232 गांव बालादेसर, जमाबन्दी सम्वत 2075-78, बैंक पास-बुक, पेन कार्ड, वोटर आई.डी., राशन कार्ड की प्रति, शपथ-पत्र संलग्न हैं। संयुक्त खातेदार भगवानाराम पुत्र पृथ्वीराज के बयान लिये गए तहसील कार्यालय लूनकरनसर से प्राप्त रिपोर्ट में तहसीलदार लूनकरनसर द्वारा उक्त नाम शुद्धि की अनुशंषा की गई हैं।</p> <p>हमने प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं तहसीलदार लूनकरनसर की अनुशंषा, प्रस्तुत दस्तावेज व संयुक्त खातेदार के बयान से स्पष्ट हैं कि मघा एवं मघाराम एक ही व्यक्ति है अतः जमाबन्दी सम्वत 2075-78 गांव बालादेसर में मघा के स्थान पर मघाराम के आदेश दिये जाते हैं। उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार लूनकरनसर को भिजवायी जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।</p>	



  
(भागीरथ खण्ड) अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी लूनकरनसर

